38

उत्तराखण्ड शासन

भाषा विभाग

संख्याः 463 / xxxix / 13–36(सा0) / 2012

देहरादून, दिनांक 31 मई, 2013

विनियम / विविध

राज्यपाल, उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी की नियमावली, 2009 के नियम 2(13) के अधीन उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी में मौलिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, हिन्दी की विविध विधाओं में साहित्य, काव्य सृजन हेतु एवं तकनीकी–विज्ञान सम्बन्धित विषयों पर मौलिक रूप से हिन्दी भाषा में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी नियमावली, 2009 के अधीन वैज्ञानिक लेख–लेखन एवं साहित्यिक पुरस्कार योजना बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उत्तराखण्ड वैज्ञानिक लेख लेखन पुरस्कार एवं हिन्दी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार विनियम, 2013

1. **संक्षिप्त नाम :**

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड वैज्ञानिक लेख लेखन पुरस्कार एवं हिन्दी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार विनियम, 2013" है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएं :** इन विनियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(1) "योजना" से "तकनीकी / विज्ञान / हिन्दी साहित्य की विविध विधाओं संबंधी विषयों पर मौलिक रूप से हिन्दी भाषा में पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना" अभिप्रेत है ;

(2) "पुस्तक" से "वैज्ञानिक लेख–लेखन पुरस्कार एवं हिन्दी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार" अभिप्रेत है ;

(3) "विनियम" से "वैज्ञानिक लेख लेखन पुरस्कार एवं हिन्दी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार" अभिप्रेत है ;

(4) "वर्ष" से " किसी वित्तीय वर्ष की पहली अप्रैल से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि" अभिप्रेत है ;

(5) "पुरस्कार" से,

(क) **साहित्य पुरस्कार**– इन पुरस्कारों में सुमित्रा नन्दन पन्त पुरस्कार, पी0द0ब0 पुरस्कार, शैलेश मटियानी पुरस्कार, शिवानी पन्त पुरस्कार तथा विद्यासागर नौटियाल पुरस्कार सम्मिलित होंगे।

शोध अधिकारी
11/6/2013

(ख) वैज्ञानिक लेख–लेखन पुरस्कारः– इन पुरस्कारों में मात्र एक पुरस्कार ज्ञान–विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार सम्मिलित होगा, अभिप्रेत है;

3. उद्देश्यः योजना का उद्देश्य तकनीकी/विज्ञान/हिन्दी साहित्य की विविध विधाओं की विभिन्न विधाओं से सबंधित विषयों के बारे में उच्च स्तर के मौलिक हिन्दी साहित्य के सृजन को प्रोत्साहन देना है। इन विषयों में समसामयिक विषय भी सम्मिलित किये जा सकते हैं।

4. पुरस्कारः उपरोक्त वर्णित पुरस्कारों को हिन्दी साहित्य एवं ज्ञान–विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के अन्तर्गत रूपये एक लाख, प्रमाण पत्र, स्मृति चिह्न प्रदान किया जायेगा।

5. अवधि– योजना के अन्तर्गत पुरस्कार वर्ष के तत्काल् पूर्ववर्ती वर्ष के पहले तीन वर्षों में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति तथा ज्ञान–विज्ञान पर आधारित मौलिक पुस्तक लेखन के लिये प्रत्येक वर्ष उपरोक्त वर्णित पुरस्कार होंगे। उदाहरणः– 2012 के लिये पुस्तक चयन के लिये 2008–2010 के मध्य प्रकाशित पुस्तकें ही विचारणीय होंगी।

6. साहित्य की विविध विधाओं के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित पुरस्कार के लिये पात्रताः

(1) पुरस्कार के विचारार्थ होने के लिये पुस्तक का हिन्दी भाषा तथा साहित्य में विशिष्ट स्थान होना चाहिये। पुस्तक सृजनात्मक या समालोचनात्मक हो, किन्तु निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी की नहीं होनी चाहिए।

(क) अनुदित कृति, अथवा
(ख) संचयन, अथवा
(ग) संक्षिप्त या संकलन या टीका, अथवा
(घ) विश्वविद्यालय या परीक्षा की उपाधि के लिये तैयार किया गया प्रबन्ध या शोधकार्य अथवा
(ड.) ऐसे लेखक की कृति, जिसे अकादमी से (अनुवाद पुरस्कार के अतिरिक्त) पहले भी पुरस्कार मिल चुका है अथवा
(च) ऐसा लेखक जो अकादमी में चयन मंडल का सदस्य है।

(2) पूर्व प्रकाशित पुस्तकों की रचनाओं से तैयार नया संग्रह अथवा पूर्व प्रकाशित पुस्तकों के संशोधित संस्करण पुरस्कार हेतु विचारणीय नहीं होंगे, तथापि पुस्तक में शामिल रचनाओं का 75 प्रतिशत भाग यदि पहली बार प्रकाशित हुआ है तो उस स्थिति में वह पुस्तक पुरस्कार हेतु विचारणीय हो सकती है।

(3) कोई अपूर्ण कृति पुरस्कार हेतु विचारणीय हो सकती है यदि पुस्तक में सम्मिलित भाग अपने आप में पूर्ण है।

(4) यदि लेखक की मृत्यु पुरस्कार के लिये निर्धारित तीन वर्ष के भीतर या उसके बाद हुई हो तो लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित कृति पुरस्कार के लिये विचारणीय होगी। **उदाहरण** : यदि लेखक का मृत्यु वर्ष 2008 से पूर्व का हो, उस स्थिति में उसकी कृति वर्ष 2012 के पुरस्कार हेतु विचारणीय नहीं होगी।

(5) ऐसी पुस्तक जिसके संबंध में कार्यकारी मंडल को विश्वास हो जाये कि उसे पुरस्कार दिलाने के लिये पक्ष में समर्थन जुटाया गया है, पुरस्कार के लिए अर्ह नहीं होगी।

7. **ज्ञान–विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार के लिये पात्रता:**

(1) पुस्तक आधुनिक तकनीकी/विज्ञान की विभिन्न विधाओं पर लिखी हो सकती है उदाहरणार्थ :–

(क) इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रानिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन मनोविज्ञान इत्यादि।

(ख) समसामयिक विषय–जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभो –क्ता व मानवाधिकार, प्रदूषण–नियंत्रण इत्यादि।

(2) भारत का कोई भी नागरिक इस पुरस्कार योजना में भाग ले सकता है।

(3) जिस वर्ष के लिये प्रविष्टि आमंत्रित की गई है उसके तत्काल् पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी एक वर्ष में यदि किसी व्यक्ति को इस योजना के अतंर्गत कोई पुरस्कार मिल चुका होगा तो उसकी प्रविष्टि संबधित वर्ष के लिये विचारणीय नहीं होगी।

(4) पुस्तक की विषय वस्तु समीक्षात्मक विश्लेषण युक्त होनी चाहिये। उपन्यास, कहानी, नाटक आदि के रूप में लिखी गई या विद्यालयों के लिये पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई पुस्तक इस पुरस्कार के लिये पात्र नहीं होगी।

(5) पुस्तक कम से कम 100 पृष्ठ की हो।

(6) यदि किसी वर्ष मूल्यांकन समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रविष्ट पुस्तकों में से कोई भी पुस्तक किसी भी प्रकार के योग्य नहीं है तो इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम माना जायेगा।

(7) यदि पुरस्कार के लिये चुनी गई पुस्तक के लेखक एक से अधिक होंगे, तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर–बराबर बांट दी जायेंगी

(8) ऐसी पुस्तकें जिन पर कोई भी अन्य पुरस्कार प्राप्त हुआ, इस योजना के अन्तर्गत पुरस्कार के लिये सम्मिलित नहीं की जायेगी।

8. हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन के पुरस्कार के लिये अंक तालिकाः

हिन्दी में पुस्तक लेखन के लिए निम्नवत् अंक प्रदान किये जायेंगेः—

क.स.	मद	अंक
1	मौलिकता	20
2	भाषा एवं शैली	20
3	वर्तमान/भावी परिप्रेक्ष्य में पुस्तक की उपयोगिता	20
4	सुव्यवस्थित प्रस्तुति	20
5	संपादन की गुणवत्ता— विधाओं और विषयों की विविधता, सामग्री का चयन, प्रस्तुतीकरण, साजसज्जा, ले आऊट, पृष्ठ संख्या का इष्टतम उपयोग आदि।	10
6	प्रकाशन की गुणवत्ता—साजसज्जा, गुणवत्ता, छपाई, बाइंडिग आदि।	10
	कुल अंक	100

नोट— उपरोक्त तालिका में परिवर्तन (घटाया—बढाया) सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकता है।

9. प्रविष्टि भेजने की रीतिः

(क) प्रविष्टि इन विनियमों के साथ संलग्न प्रपत्र में भेजी जायेगी।

(ख) पुरस्कार के लिये प्रविष्ट की जाने वाली प्रत्येक पुस्तक की तीन प्रतियां भेजनी आवश्यक होंगी, जो प्रत्यावर्तित नहीं की जायेंगी।

(ग) विषय—वस्तु परस्पर भिन्न होने पर एक लेखक विचारार्थ एक से अधिक प्रविष्टियां भेज सकता है।

(घ) प्रविष्टियां निम्न पते पर इस विषय में जारी किए जाने वाले परिपत्र में उल्लिखित अन्तिम तारीख तक पहुंच जानी चाहिएः—

(एक) प्रमुख सचिव/सचिव, भाषा विभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून, अथवा

(दो) सचिव, पी0द0ब0 उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी देहरादून।

(ड.) इन विनियमों में विहित प्रपत्र में प्रविष्टियां न भेजे जाने पर उन्हें स्वीकार करना संभव नहीं होगा।

10. मूल्यांकन समिति/चयन समिति :

(1) प्रविष्टियों पर एक मूल्यांकन समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

(2) प्रविष्टियां भेजने वाले लेखकों के निकट संबंधी मूल्यांकन समिति में सदस्य के रूप में प्रतिभाग नहीं कर सकेंगे। इस आशय का उन्हें स्वहस्तलिखित प्रमाण—पत्र देना होगा।

(3) मूल्यांकन समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी पुस्तक के बारे में निर्णय देने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ/विशेषज्ञों की राय प्राप्त करें।

(4) मूल्यांकन समिति/चयन समिति मूल्यांकन के मानदंड स्वयं निर्धारित करेगी एवं निर्धारित मानदण्डों से प्रमुख सचिव/सचिव भाषा विभाग उत्तराखण्ड शासन को अवगत करायेगी।

(5) पुरस्कार देने के बारे में सर्वसम्मति न होने की स्थिति में निर्णय बहुमत द्वारा किया जायेगा। यदि किसी निर्णय के बारे में पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हो तो अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(6) मूल्यांकन समिति/चयन समिति के सरकारी सदस्यों को यात्रा–भत्ता/दैनिक–भत्ता उसी स्रोत से मिलेगा जिस स्रोत से उन्हें वेतन मिलता है। समिति के गैर–सरकारी सदस्य राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये और संबंधित अवधि में लागू अनुदेशों के अधीन एवं नियमावली के अधीन यात्रा–भत्ता और दैनिक–भत्ता पाने के अधिकारी होंगे।

11. **मूल्यांकन समिति/चयन समिति का गठन और उसके कार्यः**

(1) प्रत्येक वर्ष तथा प्रत्येक पुरस्कार निर्धारण के लिये एक त्रिसदस्यीय चयन समिति/मूल्यांकन समिति गठित की जायेगी। सदस्यों का चयन पुरस्कार परामर्श मंडल द्वारा संस्तुत सात नामों के पैनल की संस्तुति पर से अकादमी के अध्यक्ष करेंगे। पुरस्कार परामर्श मण्डल का गठन अध्यक्ष द्वारा दो अकादमी के कुलपतियों एवं साधारण सभा के नामित साहित्यकारों में से तीन को नामित कर किया जायेगा तथा जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा की जायेगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्षता प्रबन्धकार्यकारिणी के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

(2) पुरस्कार परामर्श मंडल के सदस्यों द्वारा गठित करायी गई चयन समितियों/मूल्यांकन समितियों द्वारा संस्तुत प्रत्येक पुस्तक की 5 प्रतियां अकादमी द्वारा कय की जायेंगी।

(3) कय की गई पुस्तकों की एक–एक प्रति चयन समिति के प्रत्येक सदस्य एवं संयोजक/अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति को भेजी जायेगी।

(4) चयन समितियों की बैठक का आयोजन यथासंभव राज्य के मुख्यालय में होगा। प्रबन्ध कार्यकारिणी के अध्यक्ष (अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यकारी अध्यक्ष बैठक का संयोजक होगा) पुरस्कार परामर्श मंडल का संयोजक बैठक का भी संयोजक होगा संयोजक सुनिश्चित करेगा कि पुरस्कार परामर्श मंडल–चयन समितियों की बैठक में विचार–विमर्श इन नियमों के अनुरूप हो तथा वह मंडल की रिपोर्ट पर प्रतिहस्ताक्षर भी करेगा।

(5) चयन समिति के सदस्य विचार–विमर्श के अनुसार प्रस्तुत पुस्तकों के संदर्भ में अपनी वरीयता सूची उसके समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। वे यह भी अनुशंसा कर सकते हैं कि उनके विचार में उस अवधि के दौरान कोई भी पुस्तक पुरस्कार की पात्र नहीं है। कोई सदस्य यदि किसी कारणवश् बैठक में उपस्थित नहीं है तो चयन समिति की बैठक इसलिये अमान्य नहीं मानी जायेगी कि कोई सदस्य उपस्थित नहीं है या उसने अपनी अनुपस्थिति के संबंध में सूचना लिखित रूप में नहीं भेजी है।

(6) तत्पश्चात् चयन समिति के सदस्यों से प्राप्त संस्तुतियां प्रबन्धकार्यकारिणी तथा साधारण सभा के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत की जायेगी।

(7) चयन समिति के सदस्यों को वास्तविक यात्रा भत्ते के अतिरिक्त मानदेय आदि के सम्बन्ध में हिन्दी अकादमी नियमावली के अनुसार निर्णय करेगी।

12. विविधाः

(1) यदि पुरस्कार प्रदान किये जाने के पूर्व किसी पुरस्कार विजेता की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में वह पुरस्कार उसके/उसकी पति, पत्नी अथवा किसी कानूनी वारिस को दिया जायेगा।

(2) यदि इन नियमों में से किसी भी उपबंध के लागू करने में कोई समस्या आती है तो उस स्थिति में अकादमी की कार्यकारिणी उस समस्या का निवारण नियमानुसार करेगी।

13. **साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिये पुस्तक के चयन की प्रक्रिया इस प्रकार हैः**

साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए पुरस्कारों का चयन निम्नवत् किया जाएगा–

(1) नियम 5 के अन्तर्गत पुरस्कार वर्ष के तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के पहले तीन वर्षों में अकादमी (इसके पश्चात् जिसे अकादमी कहा जायेगा) द्वारा हिन्दी भाषा में भारतीय लेखक की प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिये प्रत्येक वर्ष एक पुरस्कार होगा। उदाहरण– 2012 के पुरस्कार के लिये 2008 से 2010 के मध्य प्रकाशित पुस्तकें ही विचारणीय होगीं।

(2) पुरस्कार वर्ष के पूर्ववर्ती 3 वर्ष में प्रकाशित कोई पुस्तक पुरस्कार के योग्य नहीं पाई जाती है तो उस वर्ष उस विधा के लिये पुरस्कार नहीं दिया जायेगा ।

(3) पुरस्कार के रूप में लेखक को उतनी राशि प्रदान की जायेगी जितनी अकादमी समय–समय पर निर्धारित करें। पुरस्कार राशि के अतिरिक्त एक प्रशस्ति पत्र भी प्रकाशित किया जायेगा जिसमें

पुस्तक के वैशिष्टय तथा हिन्दी भाषा और साहित्य में लेखक के योगदान की संक्षेप में चर्चा होगी।

(4) जहां दो या अधिक पुस्तकें समान योग्यता की पाई जायेगीं वहाँ पुरस्कार निर्धारण के समय उनके लेखकों के कुल साहित्यिक योगदान और हिन्दी भाषा जगत में उनकी प्रतिष्ठा को भी ध्यान में रखा जायेगा।

14. आधार–सूची के निर्माण तथा चयन समितियों के सदस्यों की संस्तुतियां प्राप्त करना:

(1) अकादमी हर वर्ष प्रत्येक विधा की विचारणीय पुस्तकों की एक आधार सूची वर्णित पुरस्कारों के अन्तर्गत पुरस्कार दिये जाने के उद्देश्य से तैयार करायेगी, जिसका निर्माण कार्य एक विशेषज्ञ अथवा अकादमी के अध्यक्ष के विवेक पर दो विशेषज्ञों को सौंपा जा सकेगा। विशेषज्ञों के मानदेय की राशि समय–समय पर अकादमी द्वारा नियमावलियों के प्राविधानों के अनुरूप नियत की जायेगी।

(2) गठित पुरस्कार परामर्श मंडल का प्रत्येक सदस्य अधिक से अधिक उपरोक्त पुरस्कारों की विधा हेतु अधिकतम पांच नामों का एक पैनल भेजेगा और अकादमी के प्रबन्ध कार्यकारिणी के अध्यक्ष प्रमुख सचिव/सचिव भाषा एवं सचिव, हिन्दी अकादमी के परामर्श (जिन्हें इसके बाद अध्यक्ष कहा जायेगा) इस प्रकार प्राप्त पैनलों में से प्रत्येक पुरस्कार हेतु विशेषज्ञ या विशेषज्ञों का चुनाव करेंगे।

(3) आधार–सूची तैयार करते समय विशेषज्ञ नियमों में सुनिश्चित विचारणीयता के मानदण्डों का कडाई से पालन करेंगे। इस प्रकार निर्मित आधार–सूची जिसमें गत वर्ष संस्तुत कृतियां भी सम्मिलित होंगी, जिन्हें हिन्दी भाषा परामर्श मंडल चयन समितियों (योजक सहित) के सभी सदस्यों को इस अनुरोध के साथ भेजी जायेगी कि वे अकादमी द्वारा निर्धारित तिथि तक दो पुस्तकें अनुमोदित करें। प्रत्येक सदस्य

(क) आधार–सूची से दोनों पुस्तकें अथवा

(ख) एक पुस्तक आधार–सूची से और दूसरी अपनी रूचि से,

(ग) दोंनों पुस्तकें अपनी रूचि की चुन सकता है।

15. जूरी और उसके कार्य:

(1) चयन समितियों की संस्तुतियों के आधार पर पुरस्कार के अन्तिम चयन हेतु अपना प्रस्ताव प्रबन्धकार्यकारिणी को प्रस्तुत करने हेतु एक त्रिसदस्यीय जूरी विचार करेगी। जूरी के सदस्यों का चयन

अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा जिसमें दो सदस्य अन्य प्रदेशों से एवं एक सदस्य का चयन उत्तराखण्ड से किया जायेगा।

(2) पुरस्कार परामर्श मण्डल द्वारा अनुसंषित पुस्तकें क्रय के उपरान्त अकादमी जूरी के सदस्यों और संयोजक को भेजेगी।

(3) संयोजक जूरी और अकादमी के बीच संपर्क सूत्र का काम करेगा। वह यह सुनिश्चित करेगा कि जूरी की बैठक उचित और संतोषजनक रूप में सम्पन्न हो। यह जूरी की रिपोर्ट पर प्रतिहस्ताक्षर भी करेगा।

(4) जूरी के सदस्य या तो सर्वसम्मति से अथवा बहुमत से पुरस्कार के लिये एक पुस्तक की अनुशंसा करेंगे। वे ये भी अनुशंसा कर सकेंगे कि उनके विचार में इस वर्ष कोई भी पुस्तक पुरस्कार के योग्य नहीं है।

(5) जूरी के सदस्यों को वास्तविक यात्रा भत्ते के अतिरिक्त दैनिक भत्ते और बैठक भत्ते का भुगतान ऐसे दर से जैसी कार्यकारी मंडली के सदस्य देतें हैं, नियमावली के अनुसार किया जायेगा।

16. पुरस्कार की घोषणा:

(1) जूरी की संस्तुति को औपचारिक अनुमोदन और पुरस्कार की घोषणा के लिये प्रबन्धकार्यकारिणी मंडल के समक्ष रखा जायेगा।

(2) पुरस्कार की घोषणा के साथ ही जूरी के सदस्यों के नाम और अन्तिम चरण में चुनी गयी पुस्तकों की सूची भी घोषित कर दी जायेगी।

17. विविधा:

(1) यदि पुरस्कार परामर्श मंडल के किसी सदस्य या निर्णायक द्वारा संस्तुति भेजने की समय सीमा की अनदेखी की जाती है अकादमी यह मान लेगी कि उसकी कोई संस्तुति नहीं है और वह तद्नुसार अपनी पुरस्कार प्रकिया को आगे बढाएगी सिवाय उस विशेष परिस्थिति के जिसमें अकादमी समय सीमा को बढा पाने की स्थिति में हो तथा वास्तव में उसे बढाती हो।

(2) प्रबन्धकार्यकारिणी मंडल के निर्णयानुसार पुरस्कार समारोह की तिथि और स्थान निर्धारित किया जायेगा।

18. पुरस्कार के बारे में घोषणा और पुरस्कार वितरण :

(1) पुरस्कार के बारे में निर्णय की सूचना सभी पुरस्कार विजेताओं को पत्र द्वारा भेजी जायेगी।

(2) पुरस्कार वितरण भाषा विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को किया जायेगा। पुरस्कार वितरण के लिये नियत स्थान के बाहर से आये

हुये पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार ग्रहण करने के लिये यात्रा भत्ता नियमावली के अनुरूप अकादमी द्वारा देय होगा।

19. सामान्य :

(1) पुरस्कृत पुस्तक पर लेखक का कापीराइट अधिकार बना रहेगा।
(2) पुरस्कार प्रदान किये जाने अथवा पुरस्कार के लिये पुस्तक चयन की प्रकिया के बारे में कोई पत्र–व्यवहार नहीं किया जायेगा।
(3) जूरी का निर्णय अन्तिम होगा।

20. **विनियम शिथिल करने का अधिकार :**

जहां राज्य सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिये जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन विनियमों के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव

(वैज्ञानिक लेख–लेखन पुरस्कार एवं हिन्दी मौलिक
पुस्तक लेखन पुरस्कार हेतु)

प्रपत्र

1– पुस्तक का नाम.....

2– पुस्तक योजना के किस पहलू/विषय के बारे में है.....

3– (क) लेखक/लेखकों का नाम.....
(ख) पूरा पता.....
(ग) दूरभाष संख्या.....

4– (क) प्रकाशक का नाम.....
(ख) प्रकाशक का पूरा पता.....
(ग) मूल्य.....
(घ) प्रकाशन वर्ष.....
(ड.) कापी राइट किसके अधीन है.....

5– क्या पुस्तक को पूर्व में किसी अन्य प्रतियोगिताओं में भेजा गया था, यदि हां,तो कृपया पूरा ब्यौरा दें :
(क) किस वर्ष में भेजी गई.....
(ख) किसे भेजी गई.....
(पूरा पता).....
.....
(ग) क्या कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ यदि हां, तो उसका ब्यौरा दें.....
.....

6– क्या लेखक को **वैज्ञानिक लेख लेखन पुरस्कार एवं हिन्दी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना** अंतर्गत कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ है यदि हां, तो निम्नलिखित ब्यौरा दें–

(क) पुरस्कार प्राप्त पुस्तक का शीर्षक.....
(ख) वर्ष जिसमें पुरस्कार प्राप्त हुआ.....
(ग) प्राप्त पुरस्कार की राशि.....
(घ) वर्ष जिसमें पुस्तक प्रकाशित हुई.....
(ड.) प्रकाशक का पूरा पता.....
(च) पुस्तक का मूल्य.....

7– मैं/हम यह प्रमाणित करता हूं/करती हूं/ करते हैं कि–

(क) मैं/हम भारतीय नागरिक हूं/हैं।
(ख) पुस्तक मेरे/हमारे द्वारा मूल रूप से हिन्दी में लिखी गई है।
(ग) मेरी/हमारी पुस्तक को इस योजना के अंतर्गत प्रविष्ट करने से किसी अन्य व्यक्ति के कापीराइट का उल्लंघन नहीं होता है।

मैं/हम वचन देता हूं/देते हैं/देती हूं कि मैं **वैज्ञानिक लेख लेखन पुरस्कार एवं हिन्दी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना** /हम विनियम के

उपबंधो का पालन करूंगा/करूंगी।

लेखक/लेखकों के हस्ताक्षर.....

स्थानः.....

दिनांक.....

नोट–

1– इस प्रपत्र को उचित प्रकार भरकर पुस्तक की तीन प्रतियों सहित

(क)– प्रमुख सचिव/सचिव, भाषा विभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून।

(ख)– सचिव, पी0द0ब0 उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी देहरादून।

को भेजा जाये।

2– लेखक द्वारा पुस्तक का विधिवत हस्ताक्षित विषय वस्तु का सारांश भी संलग्न किया जाये।

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव

संख्याः 46301/ **xxxix** / 13–36(सा0) / 2012, तद्दिनांकः

उक्त विनियम की प्रति महामहिम राज्यपाल सचिवालय, मा0 अध्यक्ष विधान सभा, मा0 मुख्यमंत्री सचिवालय, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त, प्रमुख सचिव / सचिव, उच्च शिक्षा, प्रमुख सचिव / सचिव, शिक्षा, प्रमुख सचिव / सचिव, संस्कृति एवं संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उत्तराखण्ड, निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं उत्तराखण्ड को प्रेषित तथा प्रबंधक, रूडकी मुद्रणालय, उत्तराखण्ड को यह भी आदेश दिया जाता है कि इन विनियमों को सार्वजनिक सूचना के लिए राज्य सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव